

6.00 P.M.

श्री अमित शाह : महोदय, यह बिल सर्वानुमति से पास हुआ, इसे संज्ञान में लिया जाए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह बिल सर्वानुमति से पास हुआ।...(व्यवधान)...

**REGARDING DRAWING ATTENTION TO THE PLIGHT OF PEOPLE
LIVING IN DETENTION CAMPS IN ASSAM**

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, can I have a request, through you, to the hon. Home Minister? Some people in Assam are in detention camps. Some of them are Government of India employees, soldiers, etc. Can they get any justice?

श्री उपसभापति : धन्यवाद, पि. भट्टाचार्य जी। 6 बज चुके हैं, हाउस के बिज़नेस का डिस्पोजल होने तक हम सब बैठेंगे।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : मान्यवर, न्याय मैं नहीं कर सकता, आदालत कर सकती है, मगर इनके खाने-पीने तथा सुविधा की व्यवस्था में अगर कोई कमी है, तो मेरा ध्यान उस ओर जरूर दिलाइए, सरकार इसको सुधारने का प्रयास करेगी।

SPECIAL MENTIONS

श्री उपसभापति : श्री राम शकल। माननीय राम शकल जी, आप शीर्षक पढ़ कर इसको lay कर दीजिए।

***Demand to expeditiously complete the construction work on NH-39
between Jhansi and Ranchi**

श्री राम शकल (नाम निर्देशित) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-39 पर, झांसी से रांची तक निर्माण कार्य चल रहा है। यात्रियों को उक्त निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब के चलते, विगत 15 वर्षों से आवागमन एवं परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन इस पर दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, जिससे जन-धन की हानि हो रही है।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-39 से तीन राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल दूरी 869 किलोमीटर है, अतः पिछले 15-20 वर्षों से निर्माण

*Laid on the Table.

[श्री राम शकल]

कार्य चल रहा है, किंतु विभागीय शिथिलता के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-39, झांसी से रांची को यथाशीघ्र बनवाने में हो रहे विलम्ब के कारणों की जांच कराकर, निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

श्री उपसभापति : कृपया शांति रखें। चौधरी सुखराम सिंह यादव जी, आप इसको lay कर दीजिए।

***Demand to remove encroachments from the river flowing areas**

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ष कई शहर, गांव और कस्बे डूबते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है। यह प्राकृतिक आपदा अपने साथ बड़े पैमाने पर त्रासदी लेकर आती है, लेकिन बाढ़ तब और विकराल रूप धारण करती है, जब उसके बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण होता है। फसलें पानी में डूबने में बरबाद होती हैं। बाढ़ के कारण स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन चिन्ता की बात है कि सरकारी अमला देर से पहुंचता है।

पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए, तालाब, बावड़ी, ताल-तलैया, नदी-नालों पर देश भर में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा करके, पानी के बहाव को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष बाढ़ का आवेश और विकराल होता गया है, जो अधिक नुकसान करता है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल में बाढ़ की वजह से हर वर्ष बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यह सब पानी के बहाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे के कारण हो रहा है। कानपुर देहात के तमाम गांव और कानपुर नगर के ब्लॉक विधनू अंतर्गत ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा, मोहनपुरम, पिपौली, मर्दपुर, गुजैनी, परतापुर आदि सैंकड़ों गांव पिछले वर्ष बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिसके तहत देश में पानी के बहाव क्षेत्र पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अविलम्ब कार्यवाही हेतु सरकार उचित कदम उठाए, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री मानस रंजन भूनिया। आप इसको lay कर दीजिए।

श्री मानस रंजन भूनिया (पश्चिम बंगाल) : सर, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ।